भारत सरकार

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या1200

जिसका उत्तपर 09फरवरी, 2017 को दिया जाना है ।

राष्ट्रीय जल रूपरेखा विधेयक

1200. डॉ. उदित राज:

क्या **जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय जल रूपरेखा विधेयक शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसकी क्या विशेषताएं हैं; और

(ग) इसके सभा में कब तक प्रस्तावित किए जाने की संभावना है?

उत्तर

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्य0 मंत्री(डॉ. संजीव कुमार बालियान)

(क) से (ग) जी , हां। डॉ. मिहीर शाह की अध्यूक्षता में दिनांक 28.12.2015 को इस मंत्रालय द्वारा गठित समिति ने यह राष्ट्री□य जल ढांचा विधेयक, 2016 के प्रारूप का सूझाव दिया है। प्रारूप राष्ट्री□य जल ढांचा विधेयक 2016 की मुख्य विशेषताएं संलग्नय हैं।

सभी राज्यों्/संघ राज्यध क्षेत्रों और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों से उनकी टिप्प्णियां प्राप्तर करने के लिए मसौदा विधेयक परिचालित किया गया है। तथापि , मात्र कुछ राज्यों ने ही अब तक टिप्पणियां भेजी है। राजस्थागन और मध्य् प्रदेश जैसे राज्यों् ने विधेयक के कुछ संशोधनों पर अपनी सहमति जताई है , जबकि पंजाब और तमिलनाडु जैसे राज्योंस ने इस विधेयक पर सहमति नहीं दी है।

हाल ही में इस मंत्रालय के सचिव ने अ.शा.पत्र दिनांक 20.01.2017 के माध्यंम से सभी राज्योंम/संघ राज्या क्षेत्रों के मुख्यर सचिवों को राष्ट्री□य जल ढांचा कानून (एनडब्यूप□□□एफएल) से होने वाले फायदों की जानकारी दी है और उनसे विधेयक का समर्थन करने का अनुरोध किया है।

संसद में विधेयक को पेश किया जाना राज्यक सरकारों/संघ राज्यह क्षेत्रों की सहमति/समर्थन के शर्ताधीन है।

अनुलग्नक

राष्ट्री□यजल रूपरेखा विधेयक के संबंध में दिनांक 09.02.2017 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1200 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नलक

मसौदा राष्ट्रीरय जल ढांचा विधेयक 2016 की मुख्या विशेषताएं

मसौदा राष्ट्रीरय जल ढांचा विधेयक, 2016 में महत्वगपूर्ण और दुर्लभ प्राकृतिक संसाधन के रूप में जल की संरक्षा , संरक्षण, विनियमन और प्रबंधन के सिद्धांतों सहित एक व्याृपक राष्ट्री□य विधि ढांचा उपलब्धक कराने की व्येवस्थान है जिसके तहत शासन के सभी स्त रों पर जल के संबंध में विधान और कार्रवाई की जा सकती है।

2. विधेयक यह प्रस्ताृाव करता है कि प्रत्येनक व्य क्ति को एकीकृत नदी जल प्रबंधन के सिद्धांतों के आधार पर आसानी से पहुंच वाले क्षेत्र के भीतर जीवन के लिए सुरक्षित जल की पर्याप्तो मात्रा पाने का अधिकार होना चाहिए। राज्य , जल संसाधन को **साझा विरासत और सार्वजनिक ट्रस्टत**के रूप में रखेंगे।

3. मसौदा विधेयक यह प्रस्ताृाव करता है कि समुदाय भागीदारी सहित नदी प्रणाली को पुर्नजीवित करने के लिए संबंधित सरकार प्रयास करेगी और निम्नभलिखित को सुनिश्चित करेगी-

(क) ''अविरल धारा''- प्रत्योक नदी प्रणाली में बहाव की संयोजकता को बनाए रखने सहित समय और स्थाकन में लगातार बहाव

(ख) 'निर्मल धारा'- गैर-प्रदूषित बहाव ताकि मानवीय गतिविधियों से नदी जल की गुणवत्तात पर बुरा प्रभाव न पड़े, और

(ग) 'स्व्च्छ किनारा- पारिस्थितिकीय अखंडता सहित साफ और सुंदर नदी का किनारा।

4. यह प्रस्तानव है कि संबंधित सरकार जल पर निर्भर पारिस्थितिकीय प्रणाली को बचाए रखने के लिए आवश्याक पारिस्थितिकीय अखंडता की सुरक्षा हेतु सभी उपाय करेगी और उसे स्था नीय वर्षा जल संचयन वाटरशेड विकास सहित सतही और भूमि जल दोनों के लिए व्यखक्ति केन्द्रि□त विकेन्द्रीकृत जल प्रबंधन को अपनाना चाहिए तथा स्था नीय पहलों को मान्यसता देने, प्रोत्साहित करने और सशक्तप बनाते समय भागीदारी सिंचाई प्रबंधन को प्राथमिकता दी जाएगी।

5. यह प्रस्ताहवित है कि संबंधित सरकार निम्न लिखित पर विचार करेगी।

(क) जल उपयोग और भूमि उपयोग

(ख) अपशिष्टग जल का उपयुक्त शोधन एवं उपयोग

(ग) जल गुणवत्ता और वाटर फुटप्रिंट के लिए मानक

(घ) जल उपयोग प्राथमिकीकरण

बशर्ते कि संसाधन के दीर्घावधि स्ा वायित्वए के लिए जलभृतों को बनाए रखने और अपरिहार्य पारिस्थितिकी प्रणाली के लक्ष्यट सहित जल के ये उपयोग लगातार होते है।

6. मसौदा विधेयक में एकीकृत नदी बेसिन विकास और प्रबंधन को उच्चा प्राथमिकता दी गई है, जिसमें संबद्ध जलभृतों सहित नदी बेसिन को जल की आयोजना , विकास और प्रबंधन के लिए बुनियादी जल विज्ञानीय इकाई के रूप में समझा जाएगा। प्रत्यौक राज्यि सरकार उपयुक्तब सांस्थाननिक तंत्र द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले नदी बेसिन मास्टयर योजना के माध्य्म से अंतर्राज्यीइय नदियों के बेसिनों का विकास़ प्रबंधन और विनियमनय करेंगी।

7. संसाधनों के संयुक्तय और एकीकृत उपयोग के माध्यिम से मांग प्रबंधन पर ज़ोर देते हुए जल संसाधनों का समान , स्थातयी और दक्ष उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सभी बेसिन राज्योंध द्वारा सक्रिय भागीदारी और सहयोग सहित अंतर्राज्यी य नदियों और नदी घाटियों के इष्टयतम स्थारयी विकास हेतु जहां भी उपयुक्तत हो प्रत्येयक अंतर्राज्यीोय नदी बेसिन अथवा उप-अंतर्राज्यी य नदी बेसिन के लिए एक उप-बेसिन हेतु एक नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थाजपना करने का प्रस्ता व है। प्रत्येएक नदी बेसिन प्राधिकरण नदी बेसिन के लिए एक मास्टेर योजना तैयार करेंगे।

8. विधेयक में यह भी प्रस्ता्व है कि संबंधित सरकार (क) जीवन के लिए सुरक्षित जल की पर्याप्ते मात्रा और प्रत्ये क व्यंक्ति द्वारा स्था ई आजीविका प्राप्त करने तथा (ख) सूखा और बाढ़ जैसी आपातकालीन घटनाओं में भी जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जल सुरक्षा योजना तैयार करेंगी और कार्यान्वभयन की देखरेख करेंगी।